

# राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679, ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक: प. ( )रा.मु./2017-18/ 265

दिनांक: -11/04/2017

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2017-2018 के अनुसार, राजस्थान से बाहर ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक शिविर का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है -

1. गतिविधि का नाम - स्काउटर/गाइडर शैक्षणिक शिविर।
2. स्थान - कुन्नूर (तमिलनाडु)
3. तिथिया - दिनांक 29.05.2017 से 02.06.2017 तक।
4. शुल्क - पंजीकरण शुल्क -100/-रुपये एवं शिविर शुल्क -1000/- रुपये सहित कुल 1100/- रुपये प्रति सम्भागी होगा।
5. योग्यता - 1. कम से कम बेसिक कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त हो।  
2. ग्रुप में 04 चतुर्थ चरण कब/04 हीरक पंख बुलबुल/08 तृतीय सोपान एवं 04 राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड बने हो।  
3. ग्रुप की 100% कोटामनी एवं उद्योग पर्व की राशि जमा हो।  
4. ग्रुप वार्षिक शिविर का आयोजन किया हो।
6. आवंटित संख्या - प्रति जिला 3 स्काउटर्स एवं 2 गाइडर्स की संख्या निर्धारित की जाती है। इससे अधिक संख्या में सम्भागी स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे।
7. आवश्यक सामग्री - सभी सम्भागियों के लिए पूर्ण एवं सही स्काउटर/गाइडर पोशाक, बदलने के कपड़े मौसम के अनुसार बिस्तर, खाने-पीने के बर्तन, पानी की बोतल, टार्च, सुई धागा, ग्राउण्ड शीट, हेवर सेव, छाता, साधारण मेडिकल किट एवं अन्य आवश्यकता की सामग्री साथ लाना आवश्यक है।
8. अन्य व्यय - शिविर के दौरान दर्शनीय एवं शैक्षणिक स्थानों का भ्रमण भी कराया जावेगा। जिस पर लगभग 1000/- रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होने का अनुमान है। जिसे शिविर में पंजीकरण के समय जमा कराना होगा।
9. आवेदन पत्र - सभी सम्भागियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण शुल्क सहित अपना आवेदन पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2017 तक मण्डल मुख्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय पर प्राप्त होना आवश्यक है। देशी से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
10. चयन प्रक्रिया - जिला एवं मण्डल मुख्यालय की अनुशांषा पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य मुख्यालय द्वारा तैयार मेरिट के आधार पर चयन किया जाकर इसकी अन्तिम सूचना सम्बन्धित मण्डल एवं जिला मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
11. विशेष - चयनित सम्भागियों के अतिरिक्त किसी भी स्काउटर्स/गाइडर्स एवं अन्य पारिवारिक सदस्य को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यह राज्य से बाहर का कार्यक्रम है, इस हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमांक: प. ( )रा.मु./2017-18/ 266-271

प्रतिलिपि -आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक, (प्रा०./मा०.शिक्षा), बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०./मा०.शिक्षा) समस्त।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्का./गा.), समस्त।
6. सर्कल ओर्गेनाइजर(स्का./गा.), समस्त।
7. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।

राज्य सचिव

दिनांक: -11/04/2017

राज्य सचिव

